बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 15 अप्रैल, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

जहाँ तक नाम निर्देशन की बात है तो आज दिनांक 15.04.2024 को लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के तीसरे चरण के लिए पाँच लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों (झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया एवं खगड़िया) के लिए नामांकन का दूसरा दिन था। प्राप्त सूचनानुसार आज दिनांक 15.04.2024 को झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से एक (01) अभ्यर्थी–रामप्रीत मंडल ने जनता दल (यूनायटेड) से नामांकन दाखिल किया है। सुपौल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से तीन (03) अभ्यर्थियों–रमेश कुमार आनंद ने PROUTIST BLOC INDIA से, नितीश कुमार ने निर्दलीय तथा उमेश प्रसाद साह ने जय हिन्द पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से एक (01) अभ्यर्थी–दिनेश चन्द्र यादव ने जनता दल (यूनायटेड) से नामांकन दाखिल किया है। खगड़िया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से एक (01) अभ्यर्थी–संजय कुमार ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिसिस्ट) से नामांकन दाखिल किया है तथा अररिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया है।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01) केस रिकॉर्ड है, लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के मामले में क्रमेण बेगुसराय जिलांतर्गत एक (01), भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) एवं नालंदा जिलांतर्गत एक (01) केस रिकार्ड किया गया है अर्थात् कुल तीन केस राज्य में रिकार्ड किये गये है तथा तदनुसार तीन (03) एफआईआर दर्ज हैं। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में सात (07) केस रिकॉर्ड किये गये हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं–औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01),बेगुसराय जिलांतर्गत एक (01), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत तीन (03) एवं समस्तीपुर जिलांतर्गत दो (02)। इस संदर्भ में छः (06) एफआईआर दर्ज हैं।

आदर्श आचार संहिता के ही तहत सम्पत्ति विरूपण से संबंधित निजी सम्पत्तियों के मामले में दरभंगा जिलांतर्गत एक (01) बैनर के संदर्भ में कार्रवाई की गई है।

दिनांक 14.04.2024 को कुल **₹1.38055**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर–13211.16(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹21.48080**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹8.49896**(लाख) रूपये मूल्य के 40931.18(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹179.05725**(लाख) रूपये मूल्य की 122143.10 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹210.41756**(लाख) रूपये मूल्य की कुल जब्ती प्रतिवेदित है।